

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री विरेन्द्र सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड, कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां, तहसील फतेहपुर।

प्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी बहन अन्जु लता का नाम आधार कार्ड, महाल कनदोर के राजस्व रिकार्ड में अन्जु लता दर्ज है जोकि सही है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां में उसका नाम अन्जु वाला दर्ज है, जोकि गलत है। अन्जु वाला व अन्जु लता एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थी महाल सांटवां के राजस्व रिकार्ड में भी अन्जु वाला की जगह अन्जु लता करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को श्री विरेन्द्र सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सांटवां सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति है तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री विरेन्द्र सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मंजु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड, कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां, तहसील फतेहपुर।

प्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मंजु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी बहन

मन्जू लता का नाम आधार कार्ड, महाल कनदोर व महाल सकोह के राजस्व रिकार्ड में मन्जू लता दर्ज है जोकि सही है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां में उसका नाम मन्जू वाला दर्ज है, जोकि गलत है। मन्जू वाला व मन्जू लता एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सांटवां सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति है तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री मलकीत सिंह पुत्र सरताज सिंह पुत्र निक्का राम, निवासी गांव समकड़ व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री मलकीत सिंह पुत्र सरताज सिंह पुत्र निक्का राम, निवासी गांव समकड़ व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उनके पिता का नाम महाल समकड़ के राजस्व रिकार्ड में परिवार रजिस्टर में सरताज सिंह दर्ज है। लेकिन गांव 28, MDV PC 12 GD, तहसील घडसाणा, जिला गंगा नगर, राजस्थान के रिकार्ड में रफलू राम पुत्र निक्का राम दर्ज है। सरताज सिंह व रफलू राम एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड महाल समकड़ में अपने पिता का नाम सरताज सिंह, उर्फ रफलू राम पुत्र निक्का राम करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : /2025

तारीख पेशी : 28-08-2025

श्री हरदयाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, गांव कन्धाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हडवाल में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्री हरदयाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, गांव कन्धाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत हडवाल के परिवार रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम व जन्म दिनांक 01-01-1973 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हडवाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, जिसे दर्ज करने की अनुमति दी जाये। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी अनुमति प्रमाण—पत्र व अपना ब्यान हल्फी व आधार कार्ड की छाया प्रति व प्रमाण—पत्र संलग्न है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री तोतु राम, निवासी गांव व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धमेटा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री तोतु राम, निवासी गांव व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत धमेटा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 28-03-1958 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत धमेटा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत धमेटा को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती पुनम देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी सिहाल, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नगाल में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती पुनम देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी सिहाल, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत नगाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने भाई की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनके भाई रजित की मृत्यु दिनांक 16-06-2012 को हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत नगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत नगाल को मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के भाई की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 06/NT/M/2025

तारीख दायरा : 27-06-2025

तारीख पेशी : 26-07-2025

माया देवी पुत्री कालू राम चौहान, वासी संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

माया देवी पुत्री कालू राम चौहान, वासी संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया की माता की मृत्यु दिनांक 31-01-1985 को महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी माता की मृत्यु ग्राम पंचायत घाटी में दर्ज नहीं करवा पाई है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थिया की माता श्रीमती कलापति पत्नी कालू राम, वासी संसारपुर की मृत्यु तिथि 31-01-1985 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 11/NT/C/2025

तारीख दायरा : 01-07-2025

तारीख पेशी : 04-08-2025

अर्जुन सिंह पुत्र दुनिया राम, वासी महाल मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

नोटिस बनाम आम जनता ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल मलोट में नाम दुरुस्ती बारे ।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल मलोट में अरजन पुत्र दुनिया पुत्र रामदित्ता दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में अर्जुन सिंह पुत्र दुनिया राम दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल मलोट में अपने नाम की दुरुस्ती अरजन उपनाम अर्जुन सिंह पुत्र दुनिया राम के रूप में करवाना चाहता है ।

अतः इस इश्तहार/नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 01-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025

सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

मुश्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके भाई की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप—तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है ।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भाई की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन

हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025

सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनके भतीजे की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भतीजे की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025

सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनके भतीजे की मृत्यु दिनांक 10-07-1998 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भतीजे की मृत्यु दिनांक 10-07-1998 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025

सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनकी भाभी की मृत्यु दिनांक 11-05-2001 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता

के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है ।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द की भाभी की मृत्यु दिनांक 11-05-2001 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025

कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

बनाम

आम जनता गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 10-08-1957 को गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जांगल में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है ।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम के जन्म दिनांक 10-08-1957 को ग्राम पंचायत जांगल में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब-तहसीलदार) आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

यशोधा आयु 31 वर्ष पुत्री वसंत कुमार 6 ब्लाक नं0 6/297-98, खिचरीपुर, दिल्ली 91 मेन पार्क नजदीकी सरकारी स्कूल हाल पत्नी प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व यशोधा आयु 31 वर्ष पुत्री वसंत कुमार 6 ब्लाक नं0 6/297-98, खिचरीपुर, दिल्ली 91 मेन पार्क नजदीकी सरकारी स्कूल हाल पत्नी प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र में अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 27-04-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम पंचायत जगरूपनगर के अन्तर्गत धारब्रहमपुरी, वार्ड नं0 8, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्तरी मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री दिनेश शर्मा व यशोधा के विवाह दिनांक 27-04-2015 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 04-08-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

कुन्ती देवी पुत्री श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत नाहलना

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

कुन्ती देवी पुत्री श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्की ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 25-01-1951 को गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, ग्राम पंचायत नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने किसी भी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कुन्ती देवी पत्री क्रोधु देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के जन्म तिथि 25-01-1951 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव नाहलना को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 54 / तह / 2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-07-2025

मन्जू कुमारी पुत्री स्व0 श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

मन्जू कुमारी पुत्री स्व० श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 26-10-1970 को गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, ग्राम पंचायत सोल वनेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुशत्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मन्जू कुमारी पुत्री श्रीमती क्रान्ती शर्मा पत्नी स्व० श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० की जन्म तिथि 26-10-1970 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सोल वनेहड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकद्दमा नं० : 14 / तह / 2025

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-07-2025

1. अमित कुमार पुत्र श्री काली दास, गांव खजुरनू, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

... प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थीगण अमित कुमार पुत्र श्री काली दास, गांव खजुरनू, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 19-01-2024 को प्रभजोत कौर पुत्री वलजीत सिंह, निवासी वार्ड नं० 59, पंजाब मतात नगर, मांडल टाउन लुधियाना, पंजाब के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गुरुद्वारा भाई वाला साहिव जी शहीद करतार सिंह सराभा मार्ग, गांव ढाड, जिला लुधियाना, पंजाब में सम्पन्न हुई थी। लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत भुआना में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-07-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भुआना को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
36 / 2025

तारीख दायरा
03-07-2025

तारीख पेशी
30-07-2025

प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला पत्नी माया दास, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला पत्नी माया दास, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 26-11-1973 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत नंदेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
78/25/TEH

तारीख दायरा
02-07-2025

तारीख पेशी
30-07-2025

प्रार्थी राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता, निवासी महाल नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल नटेहड़, पटवार वृत्त उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र पाल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जोगिन्द्र पाल के बजाये राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता, निवासी महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृत्त उजैन में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
77/25/TEH

तारीख दायरा
03-07-2025

तारीख पेशी
30-07-2025

प्रार्थिया सान्या चौधरी पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सोहड़ा, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम शान्या दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का सही नाम सान्या चौधरी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम शान्या की बजाए सान्या चौधरी पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा (महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर) में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
32/25/TEH

तारीख दायरा
03-07-2025

तारीख पेशी
30-07-2025

प्रार्थी सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम, निवासी गांव चुहाडू, डाकघर धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम, निवासी महाल चुहाडू, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल चुहाडू, मौजा तकीपुर, पटवार वृत्त तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सकिन्द्र कुमार दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सकिन्द्र कुमार की बजाए सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
53 / 25 / TEH

तारीख दायरा
03-07-2025

तारीख पेशी
30-07-2025

प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल व मौजा जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम वरडू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम पतीम चन्द पुत्र लुदर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम बरडू की बजाए वरडू उपनाम प्रीतम चन्द पुत्र लुदर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

